व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि - किंटंग और टेलरिग ^{द्वारा} सरस्वती - स्वयं सहायता समूह



SHG/CIG नाम	::	सरस्वती
वीएफडीएस नाम	::	शैगो
श्रेणी	::	कटगांव
विभाजन	::	किन्नौर

इसके अंतर्गत तैयार:





हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में सुधार के लिए परियोजना और आजीविका (जेआईसीए सहायता प्राप्त) विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठों
1	SHG/CIG का विवरण	3
2	लाभार्थियों का विवरण	4
3	गाँव का भौगोलिक विवरण	4-5
4	कार्यकारी सारांश	5
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	5
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	5
7	बिक्री और विपणन	6
8	संकट विश्लेषण	6
9	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	6
10	अर्थशास्त्र का विवरण	7
11	आय और व्यय का विश्लेषण	8
12	निधि की आवश्यकता	8
13	निधि के स्रोत	8
14	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	9
15	बैंक ऋण चुकौती	9
16	निगरानी विधि	9
17	टिप्पणी	9
18	समूह फोटो	10

1. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1	SHG/CIG नाम	::	सरस्वती
2.2	वीएफडीएस	::	शैंगो
2.3	श्रेणी	::	कटगांव
2.4	विभाजन	::	किन्नौर
2.5	गाँव	::	शैंगो
2.6	अवरोध पैदा करना	::	कटगांव
2.7	ज़िला	::	किन्नौर
2.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	11- महिलाएं
2.9	गठन की तिथि	::	29-05-2022
2.10	बैंक खाता सं.	::	25310105833
2.11	बैंक विवरण	::	सहकारी बैंक कटगांव
2.12	SHG/CIG मासिक बचत	::	100/ (प्रत्येक माह की 25 तारीख को बैठक आयोजित की जाएगी)
2.13	कुल बचत		19800
2.14	कुल अंतर-ऋण		
2.15	नकद क्रेडिट सीमा		
2.16	पुनर्भुगतान स्थिति		

2. लाभार्थियों का विवरण:

_{सीनियर} नहीं	नाम (श्री/श्रीमती)	पिता/पति का नाम (श।)	आयु	श्रेणी ओरी	जारी संख्या	पद का नाम	पेशा
1	श्रीमती अंजू	श्री बलवंत कुमार	24	अनुसूचित जनजाति	829365104	प्रधान	कृषि
2.	श्रीमती दिव्या	श्री विजय कुमार	22	अनुसूचित जनजाति	809175366	सचिव	कृषि
3.	श्रीमती कृष्णा	श्री अमित नेगी	26	अनुसूचित जनजाति	7807062853	सदस्य	कृषि
4.	श्रीमती संजय कुमारी	श्री मोहन लाल	33	अनुसूचित जनजाति	7876283436	सदस्य	कृषि
5.	श्रीमती माल्टा	श्री नरेश कुमार	29	अनुसूचित जनजाति	786591366	सदस्य	कृषि
6.	श्रीमती रूपा	श्री राजेंद्र सिंह	25	अनुसूचित जनजाति	7807196349	सदस्य	कृषि
7.	श्रीमती कोमल	श्री मोहन सिंह	24	अनुसूचित जनजाति	7650044380	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती मीना	श्री आकाश	20	अनुसूचित जनजाति	7876711588	सदस्य	कृषि
9	श्रीमती हीरा मणि	श्री राज भगत	45	अनुसूचित जनजाति	8894643646	सदस्य	कृषि
10	श्रीमती कृष्णा कुमारी	श्री श्याम सिंह	31	अनुसूचित जनजाति	8278877644	सदस्य	कृषि
11	श्रीमती पूनम देवी	श्री ज्ञान सिंह	35	अनुसूचित जनजाति	9816008681	सदस्य	कृषि

3. गाँव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	57 किमी
3.2	रेंज कार्यालय से दूरी		800 मीटर
3.3	मुख्य सड़क से दूरी	::	500 मीटर
3.4	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	कटगांव - 500 मीटर, कफनू - 5 किमी,

3.5	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	::	भावनगर - 27 किमी टापरी 27- किमी रिकांगपिओ -57 किमी और रामपुर 80 किमी
3.6	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	भाबानगर- 27 किलोमीटर, रिकांगपिओ- 57
			किलोमीटर और रामपुर- 80 किलोमीटर
3.7	उन स्थानों/स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा/	::	कटगांव, कफनू, भावनगर, टापरी, रेकोंगपिओ,
	विपणित किया जाएगा		जियोरी और रामपुर

4. कार्यकारी सारांश

वीएफडीएस क्षेत्र में कटाई और सिलाई आम है और स्थानीय लोगों को पारंपरिक किन्नौरी महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों की बेहतर सिलाई के लिए लगभग 50-60 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। कटाई और सिलाई एक अच्छी आय मृजन गतिविधि है और इसे सरस्वती स्वयं सहायता समूह द्वारा चुना गया है। यह आईजीए इस स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शुरुआत में इस समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के पारंपरिक महिलाओं के सूट सिले जाएंगे। यह गतिविधि पहले से ही इस समूह की कुछ महिलाओं द्वारा की जा रही है। समूह के सदस्य शुरुआत में कम मशीनों के साथ काम करेंगे और जैसे-जैसे समूह के सदस्यों का कौशल/दक्षता में सुधार होगा तो समूह अधिक मशीनें खरीदेगा। यह व्यावसायिक गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा पूरे वर्ष की जाएगी। सूट उपभोक्ता के ऑर्डर के अनुसार सिले जाएंगे और कपड़ा उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा या ऑर्डर पर निर्भर करेगा।

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1	उत्पाद का नाम	::	सिले हुए सूट और किन्नौरी टोपी
2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि स्वयं सहायता समूह के कुछ सदस्यों द्वारा अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए पहले से ही की जा रही है। समूह के सदस्यों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इस गतिविधि को करने का निर्णय लिया।
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हाँ

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	समय लिया	::	1 लेडीज़ सूट बनाने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं
6.2	शामिल महिलाओं की संख्या	::	सभी महिलाएं.
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार

6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार	
6.5	प्रतिदिन अपेक्षित सिले हुए सूट	::	शुरुआत में 5 सूट]

7. विपणन/बिकरी का विवरण

7.1	संभावित बाज़ार स्थान/स्थान	::	कटगांव,
			कफनू, यांगपा, भावनगर, टापरी, रिकांगपिओ, जियोरी और रामपुर
7.2	सिलाई कार्य की मांग	::	वर्ष भ्र तथा विभिन्न स्थानीय त्यौहारों और विवाह
			अवसरों पर इसकी बहुत अधिक मांग रहती है।
7.3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/ संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
7.4	विपणन रणनीति		एसएचजी सदस्य सीधे ऑर्डर लेंगे (व्यक्तिगत
			स्तर/समूह स्तर)
			से आस-पास
			ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं।

8. जोखिम विश्लेषण

- कौशल आधारित-
- मांग आधारित-
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार-

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से, स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य करने के लिए अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार किया जाएगा।

- कुछ समूह सदस्य पूर्व-उत्पादन प्रक्रिया (अर्थात कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य पैकेजिंग और मार्केटिंग में शामिल होंगे।
- जनवरी 2023 के दौरान समूह को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया और अब स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने मूल व्यवसाय योजना में वर्णित साधारण मशीन के बजाय पेडल मशीन से सिलाई का काम करने का निर्णय लिया है। बाद में, 25-08-2023 को हुई स्वयं सहायता समूह की पुनः बैठक में, दो सदस्यों के समूह छोड़ने के कारण, तेरह सदस्यों के बजाय ग्यारह सदस्यों को रखने का निर्णय लिया गया। अतः व्यवसाय योजना को तदनुसार संशोधित किया गया और अब स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह हो गई है।

अर्थशास्त्र का विवरण:

एक।	पूंजीगत लागत			
क्रमांक	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
1	सिलाई मशीन	11	10000	1,10,000
2	इंटरलॉक मशीन	3	6000	18000
3	दर्जी कैंची	11	500	5500
4	टेलरिंग रूलर सेट	11	600	6600
5	सिलाई दर्जी नल	11	100	1100
6	आयरन प्रेस	2	500	1000
7	अलमारी	2	रास	2500
8	कांटा	3 सेट	400	1200
9	कुर्सियाँ, मेज आदि	लगभग।	रास	8000
	कुल पूंजीगत लागत (ए) =			1,53,900

बी।	आवर्ती लागत				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	कीमत	कुल राशि (रु.)
1	सिलाई के धागे	रीलों/सूट/महीना	250	10	2500
2	अन्य परिष्करण सामग्री (बुकर्म, गर्दन आदि)	सूट/महीना	रास	रास	6000
3	किराया	महीना			2000
4	अन्य (अचल, बिजली बिल, परिवहन, मशीन मरम्मत)	महीना			1500
कुल आव	र्ती लागत (बी)				11,500

सी।	उत्पादन लागत (मासिक)	
क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	कुल आवर्ती लागत	11,500
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	1150
	कुल	12,650

डी।	सिले हुए सूट और अन्य वस्तुओं की कीमत (प्रति सूट)				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	राशि (रु.)	
1	साधारण सूट	1	1	250-300	
2	अन्य (पलाज़ो, अस्तर आदि)	1	1	300-350	
3	किन्नौरी टोपी	1	1	400	

10. आय एवं व्यय का विश्लेषण (मासिक):

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	1150
2	कुल आवर्ती लागत	11,500
3	प्रति माह कुल सिले हुए सूट	200 (लगभग मात्रा)
4	सिले हुए सूट का विक्रय मूल्य (प्रति सूट)	250
5	आय सृजन (200*250)	50,000
	प्रति माह कुल सिलाई किन्नौरी टोपी	50
	किन्नौरी टोपी का विक्रय मूल्य (प्रित किन्नौरी टोपी)	400
	आय सृजन (50*400)	20000
	G कुल आय सृजन	70000
6	शुद्ध लाभ (70000–11,500)	58500
7	शुद्ध लाभ का वितरण	-लाभ मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। - लाभ का उपयोग किया जाएगा आईजीए में और निवेश

11. निधि की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	_{स्वयं सहायता समूह} योगदान
1	कुल पूंजीगत लागत	1,53,900	1,15,425	38,475
2	कुल आवर्ती लागत	11,500	0	11,500
3	प्रशिक्षण	60000	60000	0
	कुल	2,25,400	1,75,425	49,975

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत -परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 75% कवर किया जाएगा- आवर्ती
- लागत -एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

12. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी। प्रस्तावित/ आवश्यक कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल निम्नलिखित हैं: अप-ग्रेडेशन

- टीम वर्क-
- गुणवत्ता नियंत्रण-
- पैकेजिंग और विपणन-वित्तीय
- प्रबंधन-

- 13. ऋण चुकौती अनुसूची- यदियदि ऋण बैंक से लिया गया है, तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा तथा सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।
 - __
 - सीसीएल में, स्वयं सहायता समूह के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। बयाज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
 - सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

14. निगरानी विधि -

15.

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- परियोजना-

16. निधि के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	- पूंजीगत लागत का 75% होगा ज्ययोग किया गया की खरीद के लिए मशीनें एसएचजी बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। - प्रशिक्षण/क्षमता भवन/कौशल उन्नयन लागत।	खरीद का मशीनों द्वारा किया जाएगा किन्नौर/रामपुर डीएमयू/एफसीसीयू के बाद सभी का अनुसरण करते हुए कोडल औपचारिकताएं.
एसएचजी योगदान	- पूंजीगत लागत का 25% एसएचजी द्वारा वहन किया जाएगा। - आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

17. टिप्पणियाँ

समूह सदस्यों की तस्वीरें-



दिव्या



रूपा





अंजू



माल्टा



मीना



कोमल



संजय कुमारी



कृष्ण कुमारी





हीरा मणि

उर्वशी

सहमति पत्र आज दिनाकं 15 /05/23 को सरस्वती स्वयं सहायता समूह शागों में बैठक हुई। यह बैठक प्रधान श्रीमती अन्जू की अध्यक्षता में हुई आज बैठक में यह चर्चा की तथा सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि उनके ग्रुप में 3 और महिलाएं शामिल की जाए कि तथा जाइका वन विभाग की तरफ जो धन राशि मिलेगी उसका उपयोग सिलाई सिखाई के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की है और इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The Forest Department (represented by DFO KINNAUK, for Participatory Forest Management.

Whereas

- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called 'Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division
- the Plan contains details of program for conservation, management and development of
 forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the
 description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and
 public resources of the ward/village;
- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here-in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (hereinafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.



Responsibilities of the Society

With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016-Part-III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is

no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement

them according to the relevant standards as applicable.

- 2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal-provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.
- The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.
- 2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.
- The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.
- The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the 2.9 Forest Officer/monitoring agency.
- 2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.
- 2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.
- 2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the

- Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.
- 2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.
- 2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).
- 2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

- 31. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.
- 3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)
- 3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.
- 3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.
- 3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.
- 3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

- 4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.
- 42. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.
- 4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.
- 4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

- 6.3: A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.
- Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social 6.4. fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.
 - Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I ... Older Krisham , President, Joint VFDS/BMC

(Sub-committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

(Name and Signature of the President)

On behalf of VFDS/ BMC (Sub-committee)

ा आमयन विस्त्रम सम्पर्ध अमयन विस्त्रम सम्पर्ध DMU Officer,
Divisional Forest Officer
Kinnaur Forest Officer
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

- 1. Divya
- 2. Anju
- 3. Komal
- 4. DiPHi

-----, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division

Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer Range Forest Officer Katgatan Ranger (H.P.)

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of Kinnaur Forest Department.

DMU Officer-cum-Division Forest Officer, Kinnaur Forest Division, At R/Peo

Business Plan Approval by VFDS &DMU Sazsulati Self help group will undertake the Culting & Tailosing As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan of amount (Rs.) - 2, 25, 400 has been submitted by this group on dated ----and this business plan has been approved by Shango VFDS. Business Plan with SHGresolutions being submitted to DMU through FTU for further action, please. Thankyou Signature of Forest Guard Signature of Block forest officer Approved DMU -cum-Deputy conservator forests, Kinnaur Division at R/Peo

Resolution -cum-group consensus form It is decided in the general house meeting of the Self Help Group Sayswall Held on at Sange that our self help group will undertake the Cutting & This is livelihood income generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh. Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted.) Sarsvati Nailoring Group = Shango Tehsil Nithar KNR Signature of Group Pradhan Signature of Group Secretary

